2023 का विधेयक संख्यांक 92

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग

3. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का गठन ।
4. आयोग की संरचना ।
5. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति ।
6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।
7. आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का पद से हटाया जाना ।
8. आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृतिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।
9. आयोग की बैठक, आदि ।
10. आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

अध्याय 3

दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद्

11. दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् का गठन और उसकी संरचना ।
12. दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् के कृत्य ।
13. दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकें ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

14. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा ।

अध्याय 5

राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा)

15. राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) ।

अध्याय 6

स्वशासी बोर्ड

16. स्वशासी बोर्डों का गठन ।
17. स्वशासी बोर्डों की संरचना ।

खंड

18. प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति ।
19. प्रधान और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।
20. विशेषज्ञों की सलाहकार समिति ।
21. स्वशासी बोर्डों के कर्मचारिवृंद ।
22. स्वशासी बोर्डों की बैठकें, आदि ।
23. स्वशासी बोर्ड की शक्तियां और शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
24. स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।
25. दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।
26. शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।
27. नए दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने या नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरु करने या सीटों की संख्या बढांने के लिए अनुज्ञा ।
28. स्कीम के अनुमोदन या अननुमोदन के लिए मानदंड ।

अध्याय 7

राज्य दंत चिकित्सा परिषद् या संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद्

29. राज्य दंत चिकित्सा परिषद् या संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् ।

अध्याय 8

राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर

30. राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।
31. व्यक्तियों के व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने और राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामावलीगत किए जाने के अधिकार और उससे संबंधित उनकी बाध्यताएं ।
32. व्यवसाय का वर्जन ।

अध्याय 9

दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता

33. भारत में के विश्वविद्यालयों या दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता ।
34. भारत के बाहर दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता ।
35. भारत में के कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता ।
36. भारत में दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त दंत चिकित्सा अर्हता की अनुदत्त मान्यता का वापस लिया जाना ।
37. भारत के बाहर दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को अमान्य किया जाना ।

खंड

अध्याय 10

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

38. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
39. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग निधि ।
40. संपरीक्षा और लेखा ।
41. केन्द्रीय सरकार को विवरणियां और रिपोर्टों का दिया जाना ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

42. केंद्रीय सरकार की आयोग और स्वशासी बोर्डों को निदेश देने की शक्ति ।
43. केंद्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति ।
44. आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।
45. विश्वविद्यालयों और दंत चिकित्सा संस्थाओं की बाध्यताएं ।
46. दंत चिकित्सा संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना ।
47. आयोग की सुसंगत विनियामक निकायों के साथ संयुक्त बैठकें ।
48. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक और प्रोत्साहन दंत चिकित्सा देखभाल का संवर्धन किया जाना ।
49. आयोग और स्वशासी बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।
50. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
51. अपराधों का संज्ञान ।
52. केन्द्रीय सरकार की आयोग को अतिष्ठित करने की शक्ति ।
53. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
54. विनियम बनाने की शक्ति ।
55. संसद् के समक्ष नियमों और विनियमों का रखा जाना ।
56. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
57. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
58. निरसन और व्यावृत्ति ।
59. संक्रमणकालीन उपबंध ।

अनुसूची

2023 का विधेयक संख्यांक 82

[दि नेशनल डेंटल कमीशन बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023

देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने, क्वालिटी और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "स्वशासी बोर्ड" से धारा 16 के अधीन गठित कोई स्वशासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से धारा 4 के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "परिषद्" से धारा 11 के अधीन गठित दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "दंत चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड" से धारा 16 के अधीन गठित दंत चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अभिप्रेत है ;

(च) "दंत चिकित्सा सहायक" में दंत चिकित्सा स्वास्थ्य-विज्ञानी या दंत चिकित्सा मैकेनिक या दंत चिकित्सा शल्य क्रिया कक्ष सहायक या ऐसा अन्य प्रवर्ग, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है;

(छ) "दंत चिकित्सा स्वास्थ्य-विज्ञानी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दातों के ऊपर से टार्टर या परत को अलग करता है, साफ करता है, पालिस करता है या दंत स्वच्छता में निदेश देता है;

(ज) "दंत चिकित्सा संस्था" से भारत में या भारत के बाहर की ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो दंत चिकित्सा में डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणन पाठ्यक्रमों के लिए प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करती है और इसके अंतर्गत संबद्ध महाविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अनुसूची में उल्लिखित संस्थाएं भी हैं ;

(झ) "दंत चिकित्सा मैकेनिक" से दंत चिकित्सा और मैक्सिलोफेशियल संरचनाओं तथा आर्थोडोन्टिक साधित्रों के कृत्रिम-अंग-विज्ञान से संबंधित पुनर्वासन के लिए अपेक्षित प्रयोगशाला में कार्य करने के लिए अर्हित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "दंत चिकित्सक शल्य-क्रिया कक्ष का सहायक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो दंत चिकित्सक की कुर्सी की तरफ रुटरलाइज करने और दंत चिकित्सक द्वारा यथा अपेक्षित उपकरणों को सौंपने में सहायता करता है;

(ट) "दंत चिकित्सक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो दंत चिकित्सा में व्यवसाय करता है ;

(ठ) "दंत चिकित्सा शाखा" में दंत चिकित्सा और मुख संबंधी स्वास्थ्य में विज्ञान, अभ्यास और अनुसंधान शामिल है जो निम्नलिखित की ओर निदेशित है—

(i) दातों, जबड़ों और दातों एवं चेहरे से संबंधित (डेन्टोफेसियल) संरचनाओं के स्वास्थ्य विकास को सुकर बनाना ;

(ii) मुख संबंधी रोगों का निवारण और मुख संबंधी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ;

(iii) दांतों, मसूड़ों, जबड़ों और संबंधित उत्तकों की सामान्य और असामान्य स्थिति या रोगों को दूर करने के लिए नैदानिक परीक्षण, जांच और प्रक्रिया का

निदान और उपयोग मुख संबंधी गुहा के कार्यों के लिए आवश्यक है ;

(iv) दंत और मुख संबंधी स्वास्थ्य के अनुकूलन के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना जिसमें पुनःस्थापन, पुनर्वासन, सर्जरी या उसके संयोजन शामिल हैं, कार्य को प्रत्यास्थापित करने के लिए, संरचनात्मक शरीर रचना विज्ञान और स्टोमैटोगेनैथिक प्रणाली के सौंदर्यशास्त्र और चबाने वाले उपकरण ;

(v) दातों और मुख संबंधी गुहा पर प्रणालीगत स्वास्थ्य के प्रभावों के बारे में जागरुकता और कार्यसाधक ज्ञान पैदा करना और बुनियादी जीवन समर्थन सहित स्वास्थ्य देखभाल टीम के सक्रिय सदस्य के कर्तव्यों का पालन करना ;

(vi) मुख संबंधी स्वास्थ्य के स्थितियों से संबंधित निदान और आवश्यक हस्तक्षेपों के माध्यम से अच्छे प्रणालीगत स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ;

(vii) समाज और राष्ट्र के मुख संबंधी समस्याओं के बारे में जागरुकता लाना और इस संबंध में सरकार या सरकारी निकायों की अद्यतन नीतियों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना ;

(ड) "शिष्टाचार और दंत चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड" से धारा 16 के अधीन गठित शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ढ) "निधि" से धारा 39 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग निधि अभिप्रेत है ;

(ण) "नेता" से किसी विभाग का मुखिया या किसी संस्थान या संगठन का मुखिया अभिप्रेत है ;

(त) "अनुज्ञप्ति" से धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन दंत चिकित्सा की दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(थ) "सदस्य" से धारा 4 के अधीन नियुक्त आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है और जिसमें उसके अध्यक्ष भी शामिल है, या यथास्थिति, धारा 17 में निर्दिष्ट स्वशासी बोर्ड का सदस्य और उसका अध्यक्ष भी शामिल है ;

(द) "राष्ट्रीय रजिस्टर" से धारा 30 के अधीन शिष्टाचार और दंत चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा रखा जाने वाला, यथास्थिति, राष्ट्रीय दंत चिकित्सक रजिस्टर या राष्ट्रीय दंत चिकित्सा सहायकों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ध) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(न) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(प) "प्रधान" से धारा 18 के अधीन नियुक्त स्वशासी बोर्ड का प्रधान अभिप्रेत है ;

(फ) "मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता" से, यथास्थिति, धारा 33, धारा 34 या धारा 35 के अधीन कोई मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता अभिप्रेत है ;

(ब) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(भ) "रजिस्ट्रीकृत वृतिक" से ऐसे दंत चिकित्सक या दंत चिकित्सा सहायक अभिप्रेत हैं, जो धारा 30 के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हैं ;

(म) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(य) "राज्य दंत चिकित्सा परिषद्" से कोई ऐसी दंत चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है, जो उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में के दंत चिकित्सा व्यवसायियों के व्यवसाय और रजिस्ट्रीकरण का विनियमन करने वाली किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित की गई है और जिसमें धारा 29 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् सम्मिलित है ;

(यक) "राज्य रजिस्टर" से, यथास्थिति, ऐसा राज्य दंत चिकित्सक रजिस्टर या राज्य दंत चिकित्सा सहायकों का रजिस्टर अभिप्रेत है, जो, यथास्थिति, दंत चिकित्सक या दंत चिकित्सा सहायक के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखा जाता है ;

(यख) "स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड" से धारा 16 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(यग) "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी है । 1956 का 3

अध्याय 2

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का गठन ।

3. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस तारीख से, जो वह नियत करे, इस अधिनियम के अधीन, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग नाम से ज्ञात एक आयोग का गठन करेगी ।

(2) आयोग, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

आयोग की संरचना ।

4. (1) आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) आठ पदेन सदस्य ; और

(ग) चौबीस अंशकालिक सदस्य ।

(2) अध्यक्ष, असाधारण योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला

ऐसा दंत चिकित्सक होगा, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व संस्थान से दंत चिकित्सा शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जिसके पास दंत चिकित्सा के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम दस वर्ष तक वह दंत चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में रहा हो ।

(3) निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के पदेन सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड का प्रधान ;

(ख) दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड का प्रधान ;

(ग) शिष्टाचार और दंत चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का प्रधान ;

(घ) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली ;

(ङ) प्रधान, दंत चिकित्सा और अनुसंधान केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ;

(च) मुख संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान केन्द्र, स्नातकोत्तर चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ का मुखिया ;

(छ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु उस मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से कम का न हो ;

(ज) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या उस आयोग से नामनिर्देशिती ।

(4) निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, चार वर्ष की अवधि के लिए, नियुक्त किए जाने वाले ऐसे तीन सदस्य, जिन्हें प्रबंधन, विधि, चिकित्सा संबंधी शिष्टाचार, स्वास्थ्य अनुसंधान, उपभोक्ता या रोगी अधिकार समर्थन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र सहित ऐसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और वृतिक अनुभव हो ;

(ख) दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् में धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए, नियुक्त किए जाने वाले दस सदस्य ;

(ग) दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् में धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले नौ सदस्य ;

(घ) किसी भी केन्द्रीय या राज्य या स्वायत सरकारी संस्थानों से, किसी दंत चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहे, केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, चार वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो दंत चिकित्सा संकाय सदस्य ।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति ।

5. (1) केंद्रीय सरकार,—

(i) धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष ;

(ii) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट अंशकालिक सदस्यों ;

(iii) धारा 8 में निर्दिष्ट सचिव ; और

(iv) धारा 16 में निर्दिष्ट शासी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों,

की नियुक्ति, निम्नलिखित से मिलकर बनी खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करेगी,—

(क) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष ;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे तीन विशेषज्ञ, जिनके पास उत्कृष्ट अर्हताएं और दंत चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति, जिनके पास उत्कृष्ट अर्हताएं और प्रबंधन या विधि या अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;

(घ) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का भारसाधक सचिव - संयोजक सदस्य होगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, कोई रिक्ति, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य या सचिव या स्वायत बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, पद त्याग कर देने या हटाए जाने का कारण भी है, होने के एक मास के भीतर या ऐसे व्यक्ति की पदावधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर रिक्ति के भरे जाने के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति को निर्देश करेगी ।

(3) खोजबीन-सह-चयन समिति, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

(4) खोजबीन-सह-चयन समिति, अध्यक्ष या सदस्य या सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने के पूर्व, अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य या सचिव के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(5) यथास्थिति, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य या सचिव या स्वायत बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल खोजबीन-सह-चयन समिति की किसी रिक्ति या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(6) उपधारा (2) से उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खोजबीन-सह-चयन समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

6. (1) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष, और धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (घ) के अधीन नियुक्त या नामनिर्देशित आयोग का सदस्य, चार से अधिक की पदावधि के विस्तार के लिए और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा और ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पद धारण करने से प्रविरत हो

जाएगा ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है ।

(3) जहां पदेन सदस्य से भिन्न, कोई सदस्य आयोग की तीन क्रमवर्ती सामान्य बैठकों से अनुपस्थित रहता है और ऐसी अनुपस्थिति का कारण आयोग की राय में कोई विधिमान्य कारण नहीं माना जा सकता है, वहां ऐसे सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(4) अध्यक्ष और, पदेन सदस्य से भिन्न, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (घ) के अधीन नियुक्त या नामनिर्देशित सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते, तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(5) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य या सचिव,—

(क) केंद्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ; या

(ख) उसे धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति को तीन मास से पहले कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकेगा या यदि केंद्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय करती है तो वह तीन मास के पश्चात् तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक किसी उत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती है ।

(6) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपना पद ग्रहण करने के समय और अपना पद छोड़ने के समय अपनी आस्तियों और अपने दायित्वों की घोषणा करेंगे और अपनी वृत्तिक और वाणिज्यिक कार्यव्यस्तता या अंतर्ग्रस्तता की भी घोषणा करेंगे ।

(7) अध्यक्ष या धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (घ) के अधीन नियुक्त या नामनिर्देशित कोई सदस्य या सचिव, इस प्रकार पद धारण करने से प्रविरत हो जाने के पश्चात्, ऐसा पद छोड़े जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, किसी ऐसी प्राइवेट दंत चिकित्सा संस्था में, जिसके किसी मामले में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्रवाई की गई है, किसी हैसियत में, जिसके अंतर्गत कोई परामर्शी या विशेषज्ञ भी है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा :

परंतु इसमें की किसी बात का, ऐसे व्यक्ति को किसी निकाय या संस्था में, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अनुरक्षित दंत चिकित्सा संस्था भी है, किसी नियोजन को स्वीकार करने से निवारित करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा :

परंतु यह और कि इसमें की कोई बात, केंद्रीय सरकार को, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य या सचिव को किसी ऐसी प्राइवेट दंत चिकित्सा संस्था में, जिसके किसी मामले में ऐसे अध्यक्ष या सदस्य या सचिव द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, किसी हैसियत में, जिसके अंतर्गत कोई परामर्शी या विशेषज्ञ भी है, कोई नियोजन स्वीकार करने हेतु अनुज्ञात करने से निवारित नहीं करेगी ।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का पद से हटाया जाना ।

7. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ; या

(ग) जो सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) जो विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है ; या

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।

8. (1) आयोग का एक सचिवालय होगा, जिसका प्रमुख सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति धारा 5 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) आयोग का सचिव उत्कृष्ट योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता, अर्हताएं और अनुभव हो, जो विहित की जाएं ।

(3) सचिव की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(4) सचिव, धारा 16 के अधीन गठित स्वायत्त बोर्डों में से प्रत्येक का सदस्य-सचिव भी होगा ।

(5) सचिव, आयोग के, और धारा 16 के अधीन गठित स्वायत्त बोर्डों में से प्रत्येक के, ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(6) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश पर सृजित पदों पर, सचिव से भिन्न, आयोग के उतने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(7) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(8) आयोग, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उतनी संख्या में सत्यनिष्ठा और योग्यता वाले ऐसे विशेषज्ञों, परामर्शियों और वृत्तिकों को, जिन्हें ऐसे क्षेत्रों में, जिसके अंतर्गत दंत चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, प्रबंधन, स्वास्थ्य संबंधी अर्थशास्त्र, गुणता आश्वासन, रोगी पक्ष समर्थन, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखे और विधि भी हैं, विशेष ज्ञान और अनुभव है, नियुक्त कर सकेगा, जो वह अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता के लिए

आवश्यक समझे :

परंतु आयोग, वैश्विक गतिशीलता और रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों की रोजगार क्षमता को सुकर बनाने के लिए, किसी विदेशी देश से, उतनी संख्या में, जितनी वह उचित समझे, आयोग की बैठकों के लिए, विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों को, जिनमें उस देश मे परीक्षा के अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति भी हैं, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आमंत्रित कर सकेगा, जिन्हें दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम, व्यवहारिक प्रशिक्षण और परीक्षा के पैटर्न का विशेष ज्ञान हो ।

आयोग की बैठक, आदि ।

9. (1) आयोग, प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार, ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए, बैठक करेगा ।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य ऐसा सदस्य, जो स्वशासी बोर्ड का प्रधान रहा हो, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक विनियमों द्वारा आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अन्यथा उपबंधित न किया जाए, गणपूर्ति अध्यक्ष सहित आयोग के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से होगी और आयोग के सभी कृत्यों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वशासी बोर्ड के प्रधान का निर्णायक मत होगा ।

(4) आयोग के प्रशासन का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा ।

(5) आयोग द्वारा किए गए किसी कार्य को उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

10. (1) आयोग, शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास तथा सेवाओं के प्रदाय के मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाएगा, जो वह ठीक समझे, और जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उन्हें आवधिक रूप से पुनरीक्षित करेगा ।

(2) आयोग, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) दंत चिकित्सा शिक्षा, परीक्षा और प्रशिक्षण के संचालन के लिए नीतियां अधिकथित करना तथा मानकों को विनियमित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(ख) अतिरिक्त डिग्री या डिप्लोमा, उच्च अर्हताओं को अपनाने को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत प्रमाणन पाठ्यक्रम और दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों की वृति की उन्नति के लिए सुलभ कौशल का विकास भी है ;

(ग) दंत चिकित्सा संस्थाओं, दंत चिकित्सा संबंधी अनुसंधानों, दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों को विनियमित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि स्नातकपूर्व दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम, अर्थात्

सभी दंत चिकित्सा संस्थाओं में, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा शासित हैं, दंत शल्यचिकित्सा में बैचलर, के लिए सभी प्रवेश राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 14 के अधीन आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे ; 2019 का 30

(ङ) दंत चिकित्सा सहायकों के किसी अन्य प्रवर्ग की पहचान करना और उन्हें विनियमित करना ;

(च) दंत चिकित्सा शिक्षा और परीक्षाओं के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और हाईब्रिड शिक्षा के उपयोग के लिए उद्योग और संस्थाओं के साथ सहयोग करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(छ) दंत स्वास्थ्य देखरेख, जिसके अंतर्गत दंत स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन भी है, दंत चिकित्सक और दंत चिकित्सा सहायकों के वृत्ति विकास तथा स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित अवसंरचना की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करना और ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक रोड मैप विकसित करना ;

(ज) आयोग, स्वशासी बोर्डों, दंत चिकित्सा सलाहकार परिषदों, राज्य दंत चिकित्सा परिषदों और संयुक्त दंत चिकित्सा परिषदों के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक विनियम बनाकर नीतियां अधिकथित करना और मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना, उनका संवर्धन और समन्वय करना ;

(झ) स्वशासी बोर्डों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना ;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांत और बनाए गए विनियमों का राज्य दंत चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु ऐसे उपाय करना, जो आवश्यक हों ;

(ट) स्वशासी बोर्डों के विनिश्चयों के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना ;

(ठ) निवारक दंत चिकित्सा देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देना ;

(ड) दंत चिकित्सा व्यवसाय में वृत्तिक शिष्टाचार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और संहिता अधिकथित करना तथा दंत चिकित्सकों द्वारा देखभाल करने के दौरान शिष्टाचारी आचरण का संवर्धन करना ;

(ढ) ऐसे प्राइवेट दंत चिकित्सा संस्थाओं और मानित विश्वविद्यालयों में के, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होते हैं, पचहत्तर प्रतिशत स्थानों की बाबत फीस और अन्य प्रभारों के अवधारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना ;

(ण) वैश्विक गतिशीलता को सुकर बनाने के लिए, रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों के कौशल और क्षमता को बढ़ाने का उपाय करना ;

(त) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो विहित किए जाएं ।

(3) आयोग, अपने ऐसे कृत्यों (विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) को, जो वह आवश्यक समझे, स्वायत्त बोर्डों को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(4) आयोग, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को पूरा करने के लिए, किसी राज्य परिषद् को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे और राज्य परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

(5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होंगे ।

(6) आयोग, सचिव को अपनी ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय विषयों से संबंधित शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(7) आयोग, उप समितियां गठित कर सकेगा और ऐसी उप समितियों को अपनी ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो उन्हें विनिर्दिष्ट कार्य पूरा करने हेतु समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों ।

अध्याय 3

दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद्

दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् का गठन और उसकी संरचना ।

11. (1) केंद्रीय सरकार, दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् नामक एक सलाहकार निकाय का गठन करेगी ।

(2) परिषद्, अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी,—

(क) आयोग का अध्यक्ष परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति आयोग के प्रत्येक पदेन सदस्य और उस धारा की उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (घ) के अधीन नियुक्ति आयोग के अंशकालिक सदस्य, परिषद् के पदेन सदस्य होंगे ;

(ग) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य, जो उस राज्य में किसी सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष या प्राचार्य हो :

परन्तु यह कि सदस्य की पदावधि तब तक जारी रहेगी जब तक वह उस पद को अधिकतम चार वर्ष की अवधि के अध्यधीन रहते हुए धारण करता है जिसके आधार पर उसे नाम निर्दिष्ट किया गया है ।

(घ) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य, जो उस संघ राज्यक्षेत्र में किसी सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष या प्राचार्य हो :

परन्तु सदस्य की पदावधि तब तक जारी रहेगी, जब तक वह उस पद को अधिकतम चार वर्ष की अवधि के अधीन रहते हुए धारण करता है जिसके आधार पर उसे नाम निर्दिष्ट किया गया है :

परंतु यह और कि यदि किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है तो गृह मंत्रालय राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की दशा में किसी ऐसे सदस्य को नामनिर्दिष्ट करेगा, जिसके पास ऐसी दंत चिकित्सा

अर्हता और अनुभव हो, जो विहित किया जाए ।

(ङ) प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, राज्य दंत चिकित्सा परिषद् के सदस्यों में से एक सदस्य जिसे, उस राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह किसी भी विस्तार या पुनर्नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि ऐसा सदस्य अपने चार वर्ष की अवधि के पूरे होने से पहले उस सदस्य की शेष पदावधि, जिसके लिए उसका उसके स्थान पर नामनिर्दिष्ट किया गया है, राज्य दंत चिकित्सा परिषद् का सदस्य बना रहना नहीं चाहता है तो वह दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् का भी सदस्य बना नहीं रहेगा और ऐसी स्थिति में, राज्य दंत चिकित्सा परिषद् किसी अन्य परिषद् को, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी ;

(च) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ;

(छ) निदेशक, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् ;

(ज) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशक या विश्वविद्यालयों के कुलपति का पद धारण करने वाले व्यक्तियों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन सदस्य ;

(झ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का महानिदेशक या उसका ऐसा नामनिर्देशिती, जो वैज्ञानिक 'एच' की पंक्ति से अन्यून का न हो ;

(ञ) दंत चिकित्सा सेवाएं महानिदेशक, सेना दंत चिकित्सा कोर या नामनिर्देशिती ।

दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् के कृत्य ।

12. (1) परिषद् ऐसा प्राथमिक मंच होगा, जिसके माध्यम से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र आयोग के समक्ष अपने विचार और प्रसंग रख सकेंगे और जो दंत चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित समग्र कार्यसूची, नीति और कार्य को आकार प्रदान करने में सहायक हो सकेंगे ।

(2) परिषद्, आयोग को दंत चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों के न्यूनतम स्तरमान के अवधारण और उसे बनाए रखने के लिए तथा उन्हें बनाए रखने के लिए समन्वय हेतु उपायों पर सलाह देगा ।

(3) परिषद्, आयोग को दंत चिकित्सा शिक्षा और समान शिक्षा पध्दति के प्रति न्यायोचित पहुंच की अभिवृद्धि करने संबंधी उपायों पर सलाह देगा ।

दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकें ।

13. (1) परिषद् की बैठक, वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(2) अध्यक्ष, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो कोई अन्य सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक विनियमों द्वारा प्रक्रिया अन्यथा विहित न की जाए, गणपूर्ति परिषद् के अध्यक्ष सहित पचास प्रतिशत सदस्यों से होगी और परिषद् के सभी कार्यों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा ।

14. (1) सभी दंत चिकित्सा संस्थाओं में, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा शासित हैं, दंत शल्यचिकित्सा में बैचलर के स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम के लिए सभी प्रवेश, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 14 के अधीन आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे ।

2019 का 30

(2) उस समय तक, जब तक धारा 15 के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) आरंभ नहीं हो जाती है, सभी दंत चिकित्सा संस्थाओं में, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा शासित हैं, दंत शल्यचिकित्सा में मास्टर के स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम के लिए सभी प्रवेश, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अभिहित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एमडीएस) के माध्यम से होंगे ।

(3) आयोग, विनियमों द्वारा, ऐसी सभी दंत चिकित्सा संस्थाओं में, जो इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा शासित होती हैं, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर सीटों पर प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसलिंग करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त या नामनिर्दिष्ट अभिहित प्राधिकारी, अखिल भारतीय सीटों के लिए सामान्य काउंसलिंग आयोजित करेगा और राज्य सरकार का अभिहित प्राधिकारी, राज्य स्तर पर सीटों के लिए सामान्य काउंसलिंग आयोजित करेगा ।

अध्याय 5

राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा)

राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) ।

15. (1) दंत चिकित्सकों के रूप में दंत चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए और, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर के नामांकन हेतु एक सामान्य राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) नामक अंतिम वर्ष स्नातकपूर्व परीक्षा आयोजित की जाएगी ।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) का संचालन करेगा ।

(3) राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा), इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, नियत की जाए, प्रचालित होगी ।

(4) विदेशी दंत चिकित्सा अर्हता वाले किसी व्यक्ति को, दंत चिकित्सक के रूप में दंत चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए और, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नामांकन हेतु राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) अर्हित करनी होगी ।

(5) राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा), ऐसी दंत चिकित्सा संस्थाओं में, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शासित

होती हैं, स्नातकोत्तर बोर्ड विशेषित दंत चिकित्सा शिक्षा हेतु प्रवेश का आधार होगी ।

(6) आयोग, विनियमों द्वारा, उपधारा (5) में निर्दिष्ट दंत चिकित्सा संस्थाओं में स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश हेतु अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसलिंग करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ।

(7) अखिल भारतीय सीटों के लिए सामान्य काउंसलिंग केंद्रीय सरकार का अभिहित प्राधिकारी संचालित करेगा और राज्य स्तर के स्थानों के लिए सामान्य काउंसलिंग राज्य सरकार का अभिहित प्राधिकारी संचालित करेगा ।

अध्याय 6

स्वशासी बोर्ड

स्वशासी बोर्डों का गठन ।

16. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, आयोग के संपूर्ण पर्यवेक्षणाधीन, निम्नलिखित स्वशासी बोर्डों का, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी, अर्थात् :—

(क) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ;

(ख) दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड ; और

(ग) शिष्टाचार और दंत चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ।

(2) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्वशासी बोर्डों की संरचना ।

17. (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड, एक प्रधान और दो से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों और दो से अनधिक अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

(2) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का प्रधान, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के दो पूर्णकालिक सदस्य और एक अंशकालिक सदस्य तथा चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड के प्रत्येक के दो सदस्य, और दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड का तथा शिष्टाचार और दंत चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य और एक अंशकालिक सदस्य, उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक सामर्थ्य और सत्यनिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी विश्वविद्यालय से दंत चिकित्सा की किसी विद्याशाखा में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जिन्हें उस क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो, जिनमें से कम से कम सात वर्ष तक वह दंत चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणीय के रूप में रहा हो ।

(3) दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड का दूसरा पूर्णकालिक सदस्य, उत्कृष्ट योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय से प्रबंधन, क्वालिटी आश्वासन, विधि या विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी विद्याशाखा में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जिन्हें उस क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो, जिनमें से कम से कम सात वर्ष तक वह अग्रणीय के रूप में रहा हो ।

(4) शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का दूसरा पूर्णकालिक सदस्य, उत्कृष्ट योग्यता वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने दंत चिकित्सा या दंत चिकित्सा शिष्टाचार संबंधी कार्य के लोक अभिलेख का निदर्शन किया हो या उत्कृष्ट योग्यता वाला ऐसा व्यक्ति

होगा, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय से क्वालिटी आश्वासन, लोक स्वास्थ्य, विधि या रोगी पक्ष समर्थन की किसी विद्याशाखा में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जिन्हें उस क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो, जिनमें से कम से कम सात वर्ष तक वह अग्रणीय के रूप में रहा हो ।

(5) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, दंत चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड का दूसरा अंशकालिक सदस्य, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्यों में से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, चुना जाएगा ।

प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति ।

18. केंद्रीय सरकार, धारा 17 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट सदस्यों के सिवाए, स्वशासी बोर्ड के प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति, धारा 5 के अधीन गठित खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, उस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगी ।

प्रधान और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

19. (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का प्रधान और सदस्य (अंशकालिक सदस्यों से भिन्न) चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे :

परंतु प्रत्येक स्वशासी बोर्ड के अंशकालिक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परंतु यह और कि प्रधान या कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा ।

(2) स्वशासी बोर्ड के प्रधान और सदस्यों (अंशकालिक सदस्यों से भिन्न) को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु प्रत्येक स्वशासी बोर्ड के अंशकालिक सदस्य, ऐसे भत्तों के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), उपधारा (5) , उपधारा (6) और उपधारा (7) में के और उन्हें पद से हटाए जाने से संबंधित धारा 7 में के अंतर्विष्ट उपबंध, स्वशासी बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को भी लागू होंगे ।

विशेषज्ञों की सलाहकार समिति ।

20. (1) शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के सिवाय, प्रत्येक स्वशासी बोर्ड की सहायता, विशेषज्ञों की ऐसी सलाहकार समितियों द्वारा की जाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित की जाए :

परन्तु यह कि स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड की सलाहकार समिति में दंत चिकित्सक सहायक के प्रत्येक प्रवर्ग के कार्मिक में से कम से कम एक सदस्य भी होगा, जिसे आयोग के अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी शिष्टाचार समितियों द्वारा की जाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित की जाएं ।

स्वशासी बोर्डों के कर्मचारिवृंद ।

21. स्वशासी बोर्डों के लिए उतनी संख्या में, और ऐसी रीति में, जो आयोग द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 8 के अधीन नियुक्त विशेषज्ञ, परामर्शी, वृत्तिक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध होंगे :

परंतु धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन आयोग द्वारा विदेशी देशों से आमंत्रित विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों को भी स्वशासी बोर्डों को उतनी संख्या में, और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपलब्ध कराया जाएगा ।

स्वशासी बोर्डों की बैठकें, आदि ।

22. (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड की बैठक, प्रत्येक मास में कम से कम एक बार, या यथास्थिति, इससे भी पहले ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो नियत किया जाए ।

(2) स्वशासी बोर्ड के सभी विनिश्चय, प्रधान और सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे ।

(3) धारा 28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो किसी स्वशासी बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के साठ दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध आयोग को अपील कर सकेगा, और आयोग, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी अपील की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

परन्तु यह कि संबध्द बोर्ड का अध्यक्ष, अपने बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई की कार्यवाही में शामिल नहीं होगा ।

स्वशासी बोर्ड की शक्तियां और शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

23. (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड के प्रधान को ऐसी प्रशासनिक और वितीय शक्तियां होंगी, जो आयोग द्वारा दक्ष रूप से कार्य करने के लिए ऐसे बोर्ड को समर्थ बनाने हेतु उसे प्रत्यायोजित की जाएं ।

(2) किसी स्वशासी बोर्ड का प्रधान, और ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेश के अधीन अपनी शक्तियों, उस बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अधिकारी को अपनी शक्तियों में से किन्हीं शक्तियों का और प्रत्यायोजन कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेश के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

24. (1) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) दंत चिकित्सक और दंत चिकित्सा सहायक के लिए स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर दंत चिकित्सा शिक्षा की न्यूनतम अपेक्षाओं और उसके स्तरमानों का अवधारण और उससे संबंधित सभी पहलूओं की निगरानी करना ;

(ख) दंत चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करने, दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने और दंत चिकित्सा अनुसंधान करने के लिए समुचित कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्य और नैतिकता के विकास की दृष्टि से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार सार्वजनिक दंत चिकित्सा और सामुदायिक दंत चिकित्सा देखभाल सहित बुनियादी दंत चिकित्सा देखभाल सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर क्षमता आधारित गतिशील पाठ्यचर्या विकसित करना ;

(ग) देश की आवश्यकताओं और सार्वत्रिक मानकों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार दंत चिकित्सक और दंत चिकित्सा सहायक के लिए स्नातकपूर्व पाठ्यकमों और स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में शिक्षण हेतु दंत चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार, दंत चिकित्सा संस्थाओं में, स्थानीय स्तरों पर सृजनात्मकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लिए, जिसके अंतर्गत अलग-अलग संस्थाओं द्वारा कुछ पाठ्यक्रमों की परिकल्पना करना भी है, न्यूनतम अपेक्षाओं और स्तरमानों का अवधारण करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए दंत चिकित्सा संस्थाओं में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की क्वालिटी के लिए स्तरमानों और मानकों का अवधारण करना ;

(च) दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के अध्यापन के लिए संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुकर बनाना ;

(छ) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय छात्र और संकाय सदस्य के आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रमों को सुकर बनाना ;

(ज) दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा, उनके ऐसे कृत्यों के संबंध में, जो छात्रों, संकाय, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा परिषदों, संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद्, आयोग और केंद्रीय सरकार सहित सभी पणधारियों के हित से संबंधित हैं, अनिवार्य वार्षिक प्रकटन के लिए मानक विनिर्दिष्ट करना ;

(झ) दंत चिकित्सक और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर दंत चिकित्सा संबंधी किसी अर्हता को मान्यता देना ।

(2) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा और आयोग से ऐसे निदेशों की ईप्सा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

25. (1) दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) दंत चिकित्सा संस्थाओं का, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकथित स्तरमानों के अनुसार उनके अनुपालन के निर्धारण और रेटिंग के लिए प्रक्रिया अवधारित करना ;

(ख) धारा 28 के उपबंधों के अनुसार किसी नए दंत चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए, या स्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमति देना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित औजारों का उपयोग करते हुए या अन्यथा दंत चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण करना :

परंतु दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, यदि आवश्यक समझे, ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग हेतु दंत चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए किसी अन्य पक्षकार अभिकरण या सत्यापन निकाय या व्यक्तियों को भाड़े पर ले सकेगा या प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु यह और कि जहां दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पक्षकार अभिकरण या सत्यापन निकाय या व्यक्तियों द्वारा दंत चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है, वहां ऐसी संस्थाओं पर यह बाध्यकारी होगा कि वह ऐसे अभिकरण या व्यक्ति को पहुंच उपलब्ध करवाए ;

(घ) सभी दंत चिकित्सा संस्थाओं का, उनके प्रारंभ होने की ऐसी अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष, ऐसे समय पर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संचालन, निरीक्षण, निर्धारण और रेटिंग करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को संचालित करना या जहां यह आवश्यक समझा जाए, पैनलित करना :

परंतु दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, किसी भी समय, या तो सीधे या किसी अन्य विशेषज्ञ के माध्यम से, जिसके पास दंत चिकित्सा वृत्ति की अखंडता और अनुभव है, किसी भी दंत चिकित्सा संस्था का मूल्यांकन और निर्धारण कर सकेगा, और बिना किसी पूर्व सूचना के और ऐसे दंत चिकित्सा संस्था के कार्य, मानकों और बैंचमार्क का निर्धारण और मूल्यांकन कर सकेगा ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार नियमित अंतरालों पर दंत चिकित्सा संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को उसकी वेबसाइट पर या सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध करना ;

(च) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक स्तरमानों को बनाए रखने में असफल रहने के लिए किसी दंत चिकित्सा संस्था के विरुद्ध ऐसे उपाय करना, जिसके अंतर्गत चेतावनी देना, धनीय शास्ति का अधिरोपण, प्रवेश कम करना या रोकना और आयोग को मान्यता वापस लेने की सिफारिश करना भी है :

परन्तु यह कि इस प्रकार अधिरोपित मौद्रिक शास्ति, यथास्थिति, स्नातपूर्व पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के एक पूर्ण बैच के लिए ऐसी संस्था द्वारा चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो मासिक कुल रकम के दसवें भाग से कम और पांच गुणा से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, किसी ऐसी दंत चिकित्सा संस्था की, जो स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानदंडों को बनाए रखने में असफल रहती है, मान्यता को वापस लेने के लिए आयोग को सिफारिश करने से पूर्व, स्नातकपूर्व और

स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड से परामर्श करेगा ।

(2) दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और ऐसे निदेशों की ईप्सा करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

26. (1) शिष्टाचार और दंत चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 30 के उपबंधों के अनुसार सभी अनुज्ञप्त दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों का एक ऑनलाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर रखना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार मानकों, व्यवसाय की परिधि, वृत्तिक आचरण को विनियमित करना और दंत चिकित्सा शिष्टाचार का संवर्धन करना ;

परंतु शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस दशा में, जहां राज्य दंत चिकित्सा परिषद् को संबंधित राज्य अधिनियमों के अधीन दंत चिकित्सकों द्वारा वृत्तिक और शिष्टाचार संबंधी अवचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाइयां करने की शक्ति प्रदत्त की गई है, राज्य दंत चिकित्सा परिषद् के माध्यम से वृत्तिक और शिष्टाचार संबंधी आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा :

(ग) वृत्तिक और शिष्टाचार संबंधी अवचार के आधार पर, दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकृत करेगा या दिए गए रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करेगा ;

(घ) दंत चिकित्सकों और वृत्तिकों के आचरण को प्रभावी रूप से संवर्धित और विनियमित करने के लिए राज्य दंत चिकित्सा परिषद् के साथ सतत् संपर्क बनाए रखने के लिए तंत्र विकसित करना ;

(ङ) धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन किसी राज्य दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना ।

(2) शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा और आयोग से ऐसे निदेशों की ईप्सा करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

नए दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने या नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरु करने या सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुज्ञा ।

27. (1) कोई व्यक्ति, दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना किसी नए दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना नहीं करेगा या कोई अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेगा या स्थानों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा :

परंतु दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, ऐसी अनुमति का अनुमोदन या अननुमोदन करने से पूर्व, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड से परामर्श करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस के साथ और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड को स्कीम प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, धारा 28 में विनिर्दिष्ट कसौटियों को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (2) के अधीन प्राप्त स्कीम पर विचार करेगा और ऐसी प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसी स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करेगा :

परन्तु दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, ऐसी स्कीम को अनुमोदित करने से पूर्व, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड से परामर्श करेगाः

परंतु यह और कि ऐसी स्कीम का अननुमोदन करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को त्रुटियों के, यदि कोई हों, सुधार का एक अवसर दिया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन कर दिया जाता है, वहां ऐसा अनुमोदन उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, नए दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुज्ञा होगी ।

(5) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी स्कीम का अननुमोदन किया जाता है या जहां उपधारा (1) के अधीन कोई स्कीम प्रस्तुत करने के छह मास के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है, वहां संबद्ध व्यक्ति, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन के पन्द्रह दिन के भीतर या छह मास बीत जाने पर स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील कर सकेगा ।

(6) आयोग, उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील का विनिश्चय अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करेगा और यदि आयोग स्कीम का अनुमोदन कर देता है तो ऐसा अनुमोदन नया दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए यथास्थिति, कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरु करने या सीटों की संख्या बढ़ाने, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा होगी और यदि आयोग स्कीम का अननुमोदन कर देता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो संबद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन की संसूचना के तीस दिन के भीतर या विनिर्दिष्ट अवधि बीत जाने पर केंद्रीय सरकार को दूसरी अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

(7) दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, किसी समय प्रत्यक्षत: या किसी अन्य विशेषज्ञ के माध्यम से और दंत चिकित्सा व्यवसाय का अनुभव और बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था का मूल्यांकन और निर्धारण करा सकेगा और ऐसे दंत चिकित्सा संस्था के किसी कार्यपालन, स्तरमान और निर्देशचिह्नों का निर्धारण और मूल्यांकन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" पद के अंतर्गत कोई विश्वविद्यालय, न्यास या अन्य व्यक्तियों का कोई संगम और व्यष्टि निकाय भी है, किंतु इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार नहीं है ।

स्कीम के अनुमोदन या अननुमोदन के लिए मानदंड ।

28. धारा 27 के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करते समय, यथास्थिति, दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड या आयोग निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा, अर्थात् :—

(क) वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता ;

(ख) क्या दंत चिकित्सा महाविद्यालय के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संकाय और अन्य आवश्यक सुविधाओं का उपबंध किया गया है या उनका स्कीम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपबंध करने का वचन देना;

(ग) क्या पर्याप्त चिकित्सालय सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है या उनका स्कीम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपबंध करने का वचन देना;

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

अध्याय 7

राज्य दंत चिकित्सा परिषद् या संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद्

राज्य दंत चिकित्सा परिषद् या संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् ।

29. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर, निम्नलिखित संरचना वाली राज्य दंत चिकित्सा परिषद् की स्थापना के आवश्यक कदम उठाएगी, अर्थात् :—

(क) एक ऐसा दंत चिकित्सक, जिसके पास उत्कृष्ट योग्यता, सिध्द प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा है और जिसके पास किसी राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय या संस्थान से दंत चिकित्सा के किसी भी विद्याशाखा में स्नातकोत्तर डिग्री सहित दंत चिकित्सा के क्षेत्र में बीस वर्ष से अन्यून अनुभव हो, जिसमें से नेता के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए – अध्यक्ष ;

(ख) राज्य सरकार में चिकित्सा शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा विभाग का एक प्रतिनिधि जो अपर निदेशक की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य पदेन ;

(ग) राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सकों द्वारा, उनमें से, ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, चुने जाने वाले चार व्यक्ति – सदस्य ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे दो व्यक्ति, जिनके पास उस राज्य के किसी भी सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय से दंत चिकित्सा के किसी भी क्षेत्र में दस वर्ष से अन्यून का अनुभव है – सदस्य :

परन्तु यदि उस राज्य में सरकारी दंत चिकित्सा विद्यालय नहीं है तो राज्य सरकार वहाँ ऐसे एक ज्येष्ठतम दंत चिकित्सक को नामनिर्देशित करेगी, जिन्होंने किसी सरकारी अस्पताल में या किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के दंत चिकित्सा विभाग में न्यूनतम दस वर्ष सेवा की है ;

(ङ) ऐसे दो व्यक्ति जिनके पास उस राज्य के किसी मान्यताप्राप्त प्राइवेट दंत चिकित्सा महाविद्यालय से दंत चिकित्सा के किसी क्षेत्र में दस वर्ष से अन्यून का अनुभव है, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;

परन्तु यह कि यदि उस राज्य में प्राइवेट दंत चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है तो राज्य सरकार वहाँ एक ऐसे ज्येष्ठतम दंत चिकित्सक को नामनिर्देशित करेगा जिन्होंने किसी प्राइवेट अस्पताल में या किसी प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय के दंत

चिकित्सा विभाग में न्यूनतम दस वर्ष सेवा की है ;

(च) ऐसे प्रख्यात दो व्यक्ति, से जिनके पास दंत चिकित्सा के किसी भी क्षेत्र में दस वर्ष से के अन्यून, अनुभव है राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएं ।

(2) राज्य दंत चिकित्सा परिषद् नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसके पास शाश्वत उतराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी जिसके पास जंगम और स्थावर दोनों संपति का अर्जन, धारण, निपटान और करार करने की शक्ति होगी और उसी नाम से वाद लाया जाएगा या वाद किया जाएगा ।

(3) राज्य परिषद् के अध्यक्ष और उपधारा (1) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन चयनित या नामनिर्दिष्ट सदस्य उस तारीख से जिसको वे अपने कार्यालय में प्रवेश किए हैं चार वर्ष से अनधिक अवधि के पदधारण नहीं करेंगे और वे उस पद पर विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण करने से प्रवृत हो जाएगा।

(4) जहां कोई राज्य अधिनियम, राज्य दंत चिकित्सा परिषद् को, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक या वृत्तिक द्वारा किए गए किसी वृत्तिक या शिष्टाचार संबंधी अवचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाइयां करने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है, वहां राज्य दंत चिकित्सा परिषद् इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों और विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगी :

परंतु उस समय तक जब तक किसी राज्य में राज्य दंत चिकित्सा परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती है, शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस राज्य में के किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक या वृत्तिक के विरुद्ध किसी वृत्तिक या शिष्टाचार से संबंधित अवचार से संबंधित परिवाद और शिकायतें प्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य दंत चिकित्सा परिषद्, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत किसी आर्थिक शास्ति का अधिरोपण किया जाना भी है, किए जाने से पूर्व संबद्ध दंत चिकित्सक या वृत्तिक को सुनवाई का अवसर देगी ।

(5) रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक या कोई अन्य व्यक्ति, जो उपधारा (4) के अधीन राज्य दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा की गई किसी कार्रवाई से व्यथित है, ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध शिष्टाचार और दंत चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को साठ दिन के भीतर अपील कर सकेगा और शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड साठ दिन की अवधि के भीतर अपील पर विनिश्चय करेगा तथा उस पर शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का विनिश्चय, यदि कोई हो, राज्य दंत चिकित्सा परिषद् पर तब तक बाध्यकारी होगा, जब तक उपधारा (6) के अधीन कोई द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है ।

(6) रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक या कोई अन्य व्यक्ति, जो शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के साठ दिन के भीतर आयोग को अपील प्रस्तुत कर सकेगा और आयोग उस अपील की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसी अपील का निपटारा करेगा ।

(7) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दो या अधिक राज्य सरकारें, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट संरचना से अनधिक भाग होने वाली राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ ऐसी अवधि के लिए और ऐसी अतिरिक्त अवधि के नवीकरण के अधीन रहते हुए, जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त होने के लिए एक संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् का गठन करने के लिए करार कर सकेंगी ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "राज्य" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं और संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" और "राज्य दंत चिकित्सा परिषद्" पद से क्रमश: "केंद्रीय सरकार" और "संघ राज्यक्षेत्र दंत चिकित्सा परिषद्" अभिप्रेत है ;

(ख) "वृत्तिक या शिष्टाचार से संबंधित अवचार" के अंतर्गत किसी ऐसे कृत्य का किया जाना या उसका लोप किया जाना सम्मिलित है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

अध्याय 8

राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर

राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।

30. (1) शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, दंत चिकित्सक के लिए एक ऑन-लाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगा, जिसमें किसी अनुज्ञप्त दंत चिकित्सक का नाम, पता, उसके द्वारा धारित सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंतर्विष्ट होंगी ।

(2) शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, दंत चिकित्सक सहायकों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अलग से ऑन-लाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगा, जिसमें दंत चिकित्सा सहयकों का नाम, पता, उसके द्वारा धारित मान्यताप्राप्त अर्हताएँ और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप भी है, और ऐसी रीति में रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) वह रीति, जिसमें राष्ट्रीय रजिस्टर में कोई नाम या अर्हता जोड़ी जा सकेगी या उसमें से हटाई जा सकेगी और उसके हटाए जाने के आधार वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

1872 का 1

(5) राष्ट्रीय रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अर्थ में एक लोक दस्तावेज होगा ।

(6) राष्ट्रीय रजिस्टर को, ऐसी रीति और प्ररूप में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सुगम डिजिटल पोर्टल के रूप में शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर रखकर जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा ।

(7) प्रत्येक राज्य दंत चिकित्सा परिषद्, विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रूपविधान में दंत चिकत्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए राज्य रजिस्टर रखेगी और इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर उसकी वास्तविक प्रति शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को देगी ।

(8) शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर का, ऐसी रीति में इलैक्ट्रानिक तुल्यकालन सुनिश्चित करेगा जिससे एक रजिस्टर में का कोई परिवर्तन स्वत: ही दूसरे रजिस्टर में प्रतिबिम्बित हो जाए ।

व्यक्तियों के व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने और राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामावलीगत किए जाने के अधिकार और उससे संबंधित उनकी बाध्यताएं ।

31. (1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने धारा 15 के अधीन आयोजित राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) उत्तीर्ण की है, दंत चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाएगी और उसका नाम तथा अर्हताएं, यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामावलीगत की जाएगी :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पूर्व और धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) के प्रर्वतन में आने के पहले भारतीय दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अधीन भारतीय दंत चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम के अधीन रखे गए राष्ट्रीय रजिस्टर में नामावलीगत किया जाएगा । 1948 का 16

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने भारत से बाहर किसी देश में स्थापित किसी दंत चिकित्सा संस्था से कोई दंत चिकित्सा अर्हता अभिप्राप्त की है और वह उस देश में दंत चिकित्सक के रूप में मान्यताप्राप्त है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने और धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) के व्यवहृत होने के पश्चात् राष्ट्रीय रजिस्टर में तब तक नामावलीगत नहीं किया जाएगा, जब तक वह राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) में अर्हित नहीं हो जाता है ।

(3) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट है, विज्ञान या लोक स्वास्थ्य या दंत चिकित्सा में, जो, यथास्थिति, धारा 33 या धारा 34 या धारा 35 के अधीन मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता है, कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रवीणता संबंधी कोई अन्य अर्हता अभिप्राप्त करता है, तो वह ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में अपने नाम के सामने ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को प्रविष्ट करने का हकदार होगा ।

व्यवसाय का वर्जन ।

32. (1) किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न, जो, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामावलीगत है, कोई व्यक्ति,—

(क) अर्हित दंत चिकित्सक के रूप में दंत चिकित्सा व्यवसाय के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(ख) दंत चिकित्सक के रूप में कोई पद या कोई अन्य ऐसा पद, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो किसी दंत चिकित्सक द्वारा धारित किए जाने के लिए हो, धारण नहीं करेगा ;

(ग) किसी ऐसे दंत चिकित्सा प्रमाणपत्र या आरोग्य प्रमाणपत्र या दंत चिकित्सा संबंधी किसी अन्य ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने या अधिप्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा, जिसका किसी विधि द्वारा सम्यक् रूप से अर्हित दंत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है ;

(घ) दंत चिकित्सा से संबंधित किसी मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम,

1872 का 1

1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में किसी मृत्यु समीक्षा में या किसी न्यायालय में साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा :

परंतु यह कि किसी ऐसे विदेशी नागरिक को, जो उस देश में के दंत चिकित्सक के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार दंत चिकित्सक के रूप में अपने देश में नामावलीगत है, भारत में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) किसी व्यक्ति को, जो इस धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 9

दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता

भारत में के विश्वविद्यालयों या दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता ।

33. (1) भारत में के किसी विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हता को, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा और उसे अनुरक्षित किया जाएगा तथा ऐसी दंत चिकित्सा अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता होगी ।

(2) भारत में का कोई ऐसा विश्वविद्यालय या ऐसी दंत चिकित्सा संस्था, जो ऐसी स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा अर्हता अनुदत्त करती है, जो स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसी अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने के लिए उस बोर्ड को आवेदन करेगी ।

(3) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, छह मास की अवधि के भीतर, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी दंत चिकित्सा अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने के लिए किए गए आवेदन की परीक्षा करेगा ।

(4) जहां स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, किसी दंत चिकित्सा अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने का विनिश्चय करता है, वहां वह ऐसी दंत चिकित्सा अर्हता को उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित करेगा और ऐसी मान्यता के प्रभावी होने की तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) जहां स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, किसी दंत चिकित्सा मान्यता को अनुदत्त न करने का विनिश्चय करता है वहां संबंधित विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे विनिश्चय की संसूचना से साठ दिन के भीतर मान्यता अनुदत्त करने के लिए आयोग को अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

(6) आयोग, उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील की, अपील फाइल किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर जांच करेगा और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश, जो वह ठीक समझे, पारित करेगा ।

(7) जहां आयोग, दंत चिकित्सा अर्हता को मान्यता अनुदत्त न करने का विनिश्चय करता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, वहां

संबंधित विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर या विनिर्दिष्ट अवधि के व्यपगत हो जाने पर, केंद्रीय सरकार को दूसरी अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

(8) ऐसी सभी दंत चिकित्सा अर्हताएं, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले मान्यता प्राप्त हैं और जो दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हताएं होंगी और उन्हें स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा । 1948 का 16

भारत के बाहर दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता ।

34. (1) ऐसा कोई प्राथमिक दंत चिकित्सा अर्हता या उच्च दंत चिकित्सा अर्हता जो विदेश में दंत चिकित्सा के रूप में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त है, ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो प्राथमिक दंत चिकित्सा अर्हता के लिए राष्ट्रीय निर्गम परीक्षण (दंत चिकित्सा) या उच्च दंत चिकित्सा अर्हता के लिए छानबीन परीक्षण में अर्हित हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता समझी जाएगी

(2) आयोग, ऐसे पदाभिहित प्राधिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (1) के प्रयोजन उच्च दंत चिकित्सा अर्हता के लिए छानबीन परीक्षण या संचालन के लिए किया जाएगा।

(3) ऐसी सभी दंत चिकित्सा संबंधी अर्हताएं भी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यताप्राप्त हैं और जो दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग 3 में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हताएं होंगी और उन्हें आयोग द्वारा, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा । 1948 का 16

भारत में के कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता ।

35. (1) भारत में के किसी कानूनी या अन्य दंत चिकित्सा निकाय द्वारा अनुदत्त ऐसी दंत चिकित्सा अर्हताएं, जो अनुसूची में सूचीबद्ध प्रवर्गों के अंतर्गत आती हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हताएं होंगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, आयोग की सिफारिशों पर और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, भारत में के कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं के किन्हीं प्रवर्गों को अनुसूची में, यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उनका लोप कर सकेगी और यथास्थिति, ऐसे जोड़े जाने या लोप किए जाने पर भारत में के ऐसे कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताएं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हताएं होंगी या नहीं रहेंगी ।

भारत में दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त दंत चिकित्सा अर्हता की अनुदत्त मान्यता का वापस लिया जाना ।

36. (1) जहां धारा 25 के अधीन दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड से सिफारिश प्राप्त होने पर या अन्यथा, यदि आयोग की यह राय है कि,—

(क) किसी विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था द्वारा पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुरूप नहीं हैं ; या

(ख) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा यथा अवधारित दंत चिकित्सा संस्था में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की क्वालिटी के

स्तरमानों और मानकों का विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था द्वारा पालन नहीं किया गया है और ऐसा विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तरमानों को बनाए रखने के लिए आवश्यक संशोधनकारी कार्रवाई करने में असफल रही है, वहां आयोग उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ कर सकेगा :

परंतु आयोग, किसी विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान की गई दंत चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त मान्यता को स्वप्रेरणा से वापस लिए जाने हेतु कोई कार्रवाई करने से पहले धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंध के अनुसार आर्थिक शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(2) आयोग, ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे और सम्बद्ध राज्य सरकार तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था के प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि किसी दंत चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त मान्यता को वापस ले लिया जाना चाहिए तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी दंत चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त मान्यता वापस ले सकेगा तथा, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड को, उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में संबद्ध विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था के सामने की प्रविष्टि में इस प्रभाव का संशोधन करने का निदेश देगा कि ऐसी दंत चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त मान्यता उस आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ली जाती है ।

भारत के बाहर दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को अमान्य किया जाना ।

37. जहां भारत के बाहर किसी देश में के प्राधिकारी के सत्यापन के पश्चात्, आयोग की यह राय है कि भारत के बाहर से दंत चिकित्सा संस्थान द्वारा दी गई ऐसी मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता को, जो उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित है, मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसी दंत चिकित्सा अर्हता को अमान्य कर सकेगा और उसे ऐसे आदेश की तारीख से आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची से हटा सकेगा ।

अध्याय 10

अनुदान, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

38. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात्, आयोग को ऐसी धनराशि का अनुदान दे सकेगी, जैसा केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग निधि ।

39. (1) "राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग निधि" नामक एक निधि का गठन किया जाएगा, जो भारत के लोक लेखा का भागरूप होगी और उसमें निम्नलिखित से संबंधित राशियां जमा की जाएंगी,—

(क) आयोग और स्वशासी बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी फीस, शास्ति और प्रभार ;

(ख) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो उसके द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त सभी धनराशियां ।

(2) निधि का उपयोजन,—

(क) आयोग के अध्यक्ष, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (घ) के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट सदस्यों और सचिव, स्वशासी बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग और स्वशासी बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में उपगत व्यय, जिसके अंतर्गत आयोग और स्वशासी बोर्डों के कृत्यों के निर्वहन के संबंध में उपगत व्यय भी हैं,

के मद्दे संदाय के लिए किया जाएगा ।

संपरीक्षा और लेखा ।

40. (1) आयोग, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित किया जाए ।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा, ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से अभिलेखों, बहियों, लेखा, संबद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और पूर्ण पहुंच बनाने तथा आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

केन्द्रीय सरकार को विवरणियां और रिपोर्टों का दिया जाना ।

41. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को, ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, ऐसी रिपोर्ट और विवरणी, जिसमें आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(2) आयोग, प्रत्येक वर्ष में एक बार, वार्षिक रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण होगा और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के समक्ष रखी जाएगी ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

केंद्रीय सरकार की आयोग और स्वशासी बोर्डों को निदेश देने की शक्ति ।

42. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग और स्वशासी बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों के निर्वहन में नीति के ऐसे प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो उन्हें समय-समय पर लिखित में दिए जाएं :

परंतु इस उपधारा के अधीन आयोग और स्वशासी बोर्ड को कोई निदेश दिए जाने के पूर्व, जहां तक साध्य हो, अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) केंद्रीय सरकार के विनिश्चय का प्रश्न एक नीति है या नहीं अंतिम होगा ।

केंद्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति ।

43. (1) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय का प्रश्न एक नीति है या नहीं अंतिम होगा ।

आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।

44. (1) आयोग, केंद्रीय सरकार को, ऐसी रिपोर्टें, अपने कार्यवृत्तों की प्रतिलिपियां, अपने लेखाओं की संक्षिप्तियां और अन्य जानकारी देगा, जिनकी वह सरकार अपेक्षा करे ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन उसे दी गई रिपोर्टों, कार्यवृत्तों, लेखाओं की संक्षिप्ति और अन्य जानकारी ऐसी रीति में प्रकाशित कर सकेगी, जैसी वह ठीक समझे ।

विश्वविद्यालयों और दंत चिकित्सा संस्थाओं की बाध्यताएं ।

45. इस अधिनियम के अधीन शासित प्रत्येक विश्वविद्यालय और दंत चिकित्सा संस्था सभी समयों पर वेबसाइट बनाए रखेगी और अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी जानकारी संप्रदर्शित करेगी, जिसकी, यथास्थिति, आयोग या स्वशासी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए ।

दंत चिकित्सा संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना ।

46. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले किसी दंत चिकित्सा संस्था में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए अध्ययन कर रहा है, वैसे ही अध्ययन जारी रखेगा तथा वह ऐसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए अपना पाठ्यक्रम पूरा करेगा और ऐसी संस्था पाठ्य विवरण के अनुसार ऐसे छात्र के लिए वैसा ही शिक्षण और परीक्षा उपलब्ध करवाती रहेगी जैसा ऐसे प्रारंभ से पहले विद्यमान था और ऐसे छात्र को इस अधिनियम के अधीन अपना पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन पूरा किया गया समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम के अधीन डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी दंत चिकित्सा संस्था को अनुदत्त मान्यता समय बीत जाने के कारण या उसके द्वारा स्वेच्छा से अभ्यर्पण करने के कारण या किसी भी अन्य कारण से व्यपगत हो गई है, वहां ऐसी दंत चिकित्सा संस्था, उस समय तक, जब तक कि ऐसे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने उस दंत चिकित्सा संस्था में प्रवेश लिया है, अपना अध्ययन पूरा नहीं कर लेते हैं, ऐसे न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगी और उपलब्ध कराएगी, जिनका इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है ।

आयोग की सुसंगत विनियामक निकायों के साथ संयुक्त बैठकें ।

47. आयोग, वर्ष में कम से कम एक बार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय भेषजी परिषद्, भारतीय नर्स परिषद्, भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक आयोग के साथ बैठक करेगा या राष्ट्रीय विनियंत्रक उपरोक्त वृत्तियों को विनियमित करने के लिए पारस्परिक रूप से समय और स्थान नियत करने के लिए, औषध की आधुनिक प्रणाली के विभिन्न कार्यबल श्रेणियों के बीच इंटरफेस को बढ़ाने के लिए मुद्दों पर आम सहमति विकसित करने के लिए और स्वास्थ्य देखभाल परिदान के लिए टीम आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पत्र व्यवहार करेगा ।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक और प्रोत्साहक दंत चिकित्सा देखभाल का संवर्धन किया जाना ।

48. प्रत्येक राज्य सरकार, ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक दंत चिकित्सा और सामुदायिक दंत चिकित्सा देखभाल का पता लगाने या उसके संवर्धन के प्रयोजनों के लिए दंत चिकित्सा वृत्तिकों की क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय कर सकेगी ।

आयोग और स्वशासी बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

49. आयोग और अपील अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों तथा स्वशासी बोर्डों के प्रधान, सदस्यों तथा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य किया जाना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं । 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

50. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार, आयोग या किसी स्वशासी बोर्ड या राज्य दंत चिकित्सा परिषद् या उसकी किसी समिति के या सरकार या आयोग के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

अपराधों का संज्ञान ।

51. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान इस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आयोग या शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित रिपोर्ट पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।

केन्द्रीय सरकार की आयोग को अतिष्ठित करने की शक्ति ।

52. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) आयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ; या

(ख) आयोग, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश का पालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम कर रहा है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक की उतनी अवधि के लिए, जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अतिष्ठित कर सकेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, आयोग को यह कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और वह आयोग के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयोग के अतिष्ठित होने संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) आयोग के सभी सदस्य, अतिष्ठिति की तारीख से उस हैसियत में अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उसके अधीन आयोग द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया

जा सकेगा, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन हो जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए ;

(ग) आयोग के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन हो जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठिति काल की समाप्ति पर,—

(क) अंतिष्ठिति काल को छह मास से अनधिक की उतनी और अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जितनी वह आवश्यक समझे ; या

(ख) आयोग का, नए सिरे से नियुक्ति करके, पुनर्गठन कर सकेगी और उस दशा में ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त कर दिया था, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरंभत: विनिर्दिष्ट या इस उपधारा के अधीन विस्तारित अतिष्ठिति काल की समाप्ति के पूर्व किसी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की तथा ऐसी कार्रवाई करने संबंधी परिस्थितियों की पूरी रिपोर्ट, शीघ्रतम, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

53. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम के आधार पर आयोग के दस सदस्यों की नियुक्ति की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन आयोग के पांच सदस्यों की नियुक्ति की रीति ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन दंत चिकित्सा संकायों में से दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की रीति ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप और रीति ;

(च) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा धारित की जाने वाली अर्हताएं और अनुभव ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (त) के अधीन आयोग की अन्य

शक्तियां और कृत्य ;

(झ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के दूसरे परंतुक के अधीन किसी सदस्य द्वारा धारित की जाने वाली दंत चिकित्सा अर्हता और अनुभव ;

(ञ) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन राज्य दंत चिकित्सा परिषद् के चयनित सदस्य में से अंशकालिक सदस्यों को चुने जाने की रीति ;

(ट) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन किसी स्वशासी बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें तथा अंशकालिक सदस्य को संदेय भत्ते ;

(ठ) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्ररूप ;

(ड) वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे

(ढ) धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप और समय;

(ण) धारा 58 के उपधारा (5) के परन्तुक के अधीन कर्मचारियों को संदेय प्रतिकर की रकम ;

(त) कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जा सकेंगे ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

54. (1) आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(ख) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन विशेषज्ञों, परामर्शियों और वृत्तिकों को लगाया जा सकेगा, या विदेशी देशों से विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकेगा और ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(घ) ऐसी क्वालिटी और स्तरमान, जो धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दंत चिकित्सा शिक्षा में बनाए रखे जाएंगे ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन दंत चिकित्सा संस्थाओं, दंत चिकित्सा अनुसंधानों, दंत चिकित्सक और दंत चिकित्सा सहायकों को विनियमित करने की रीति ;

(च) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन आयोग, स्वशासी बोर्डों, राज्य दंत चिकित्सा परिषदों और संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् के कार्यकरण की रीति ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ज) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसिलिंग करने की रीति ;

(झ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) का संचालन करने के लिए अभिहित प्राधिकारी और उसके संचालन की रीति ;

(ञ) वह रीति, जिसमें विदेशी दंत चिकित्सा अर्हता वाला कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) अर्हित करेगा और धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन राज्य रजिस्ट्रर या राष्ट्रीय रजिस्टर में उसके नामांकन की रीति ;

(ट) वह रीति, जिसमें धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) के आधार पर स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा ;

(ठ) धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसिलिंग करने की रीति ;

(ड) धारा 20 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक दंत चिकित्सा सहायक के कर्मिकों में से एक सदस्य को स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड के लिए सलाहकार समिति में नामनिर्दिष्ट करने की रीति ;

(ढ) विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों, जिसमें, धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन, आयोग द्वारा आमंत्रित विदेशी विशेषज्ञ और विषय विशेषज्ञ भी हैं, की संख्या, जिन्हें, और वह रीति, जिसमें धारा 21 के अधीन आयोग द्वारा स्वशासी बोर्डों को उपलब्ध कराया जाएगा ;

(ण) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर गतिशील पाठ्यचर्या पर आधारित क्षमता विरचित करना ;

(त) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षण की रीति ;

(थ) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दंत चिकित्सा संस्थाओं में दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं और मानक ;

(द) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन दंत चिकित्सा संस्थाओं में दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर की अवसंरचना, संकाय तथा शिक्षा की क्वालिटी के लिए स्तरमान और मानक ;

(ध) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दंत चिकित्सा संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग की प्रक्रिया ;

(न) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ऐसी संस्थाओं के निर्धारण

और रेटिंग के लिए दंत चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण करने की रीति ;

(प) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन ऐसे निर्धारण और रेटिंग के लिए समय अवधि दंत चिकित्सा संस्थाओं का निर्धारण और रेटिंग करने की रीति तथा स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को पैनलित करने की रीति ;

(फ) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन दंत चिकित्सा संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को वेबसाईट या सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराने की रीति ;

(ब) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन न्यूनतम आवश्यक स्तरमानों को बनाए रखने में दंत चिकित्सा संस्थाओं के असफल रहने के लिए उसके विरुद्ध किए जाने वाले उपाय ;

(भ) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने और दंत चिकित्सा शिष्टाचार का संवर्धन करने की रीति ;

(म) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन नए दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए या कोई नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए स्थानों की संख्या में वृद्धि हेतु स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां, उसके साथ संलग्न की जाने वाली फीस और स्कीम प्रस्तुत करने की रीति ;

(य) धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील करने की रीति ;

(यक) धारा 28 के खंड (घ) के अधीन अन्य कारक ;

(यख) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सकों या वृत्तिकों के वृत्तिक या शिष्टाचार संबंधी अवचार के लिए किसी राज्य दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की रीति तथा शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा परिवाद और शिकायत प्राप्त करने की प्रक्रिया ;

(यग) ऐसे कृत्य का किया जाना या उसका लोप, जो धारा 29 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक या शिष्टाचार संबंधी अवचार की कोटि में आता है ;

(यघ) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन दंत चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(यङ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय दंत चिकित्सा सहायकों के लिए रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ ;

(यच) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टरों का प्ररूप, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है और उसके अनुरक्षण की रीति ;

(यछ) वह रीति, जिसमें धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टरों में किसी नाम या अर्हता को जोड़ा या हटाया जा सकेगा और उसके हटाए जाने के आधार ;

(यज) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में डिग्री, डिप्लोमा या अर्हता लिखने की रीति ;

(यझ) ऐसी अवधि, जिसके लिए और ऐसी रीति, जिसमें किसी विदेशी नागरिक को, जो अपने देश में एक दंत चिकित्सक के रूप में नामांकन कराता है, धारा 32 की

उपधारा (1) के परंतुक के अधीन भारत में अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ;

(यज्ञ) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन भारत में किसी विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को सूचीबद्ध करने और उसका अनुरक्षण करने की रीति ;

(यट) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन की परीक्षा करने की रीति ;

(यठ) धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में दंत चिकित्सा अर्हता को सम्मिलित करने की रीति ;

(यड) धारा 33 की उपधारा (5) के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए आयोग को अपील प्रस्तुत करने की रीति ;

(यढ) ऐसी दंत चिकित्सा अर्हताओं को सूचीबद्ध करने और उनके अनुरक्षण की रीति, जिन्हें धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले मान्यता अनुदत्त की गई थी ;

(यण) उच्च दंत चिकित्सा अर्हता के लिए छानबीन परीक्षण आयोजित करने के लिए अभिहित प्राधिकरण और धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन छानबीन परीक्षण आयोजित करने की रीति ;

(यत) दंत चिकित्सा की अर्हताओं को सूचीबद्ध करने और अनुरक्षित करने की रीति, जिसका इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता दी गई है ।

संसद् के समक्ष नियमों और विनियमों का रखा जाना ।

55. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम तथा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम या अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी, किंतु नियम या विनियम या अधिसूचना के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

56. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की धारा 29 और धारा 48 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के अधीन पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों के किए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) राज्य दंत चिकित्सा परिषद् और संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) राज्य दंत चिकित्सा परिषद् और संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् में उत्पन्न रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के, जहाँ दो सदन है वहां, प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहाँ राज्य विधान मंडल में एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

57. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाईयां उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो उसे आवश्यक प्रतीत हों, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

58. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त नियत करे, दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 निरसित हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् समाप्त हो जाएगी । 1948 का 16

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, इसका—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर ; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन की बाबत उपगत किसी शास्ति पर ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति के संबंध में किसी कार्रवाई या उपचार पर,

कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी कार्यवाही या उपचार उसी प्रकार संस्थित, जारी या प्रवृत्त रखे जा सकेंगे और कोई ऐसी शास्ति वैसे ही अधिरोपित की जा सकेगी, मानो वह अधिनियम निरसित नहीं किया गया है ।

(3) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की समाप्ति पर भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी समाप्ति के ठीक पहले उस रूप में पद धारण किए हुए हैं, अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे तथा ऐसा अध्यक्ष और सदस्य अपनी पदावधि के या सेवा संविदा के समय पूर्व पर्यवसान के लिए तीन मास से अनधिक के वेतन और भतों के प्रतिकर का दावा करने का हकदार होगा ।

(4) कोई ऐसा अधिकारी, जिसे भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है, ऐसी समाप्ति पर, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा ।

(5) ऐसे अन्य कर्मचारियों की सेवाएं, जो भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के विघटन से पूर्व, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त किए गए थे, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में, एक वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रहेगा और उसके पश्चात् आयोग द्वारा उसकी सेवाओं की निरंतरता या अन्यथा अवधारण, उनके कार्यों के अंकन या मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा :

परंतु तत्कालीन भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् का ऐसा कर्मचारी, ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो तीन मास के वेतन और भत्ते से कम नहीं होगा, जो विहित किया जाए ।

(6) पूर्वोक्त अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी, दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अधीन किया गया कोई आदेश, दंत चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए जारी कोई अनुज्ञप्ति, किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण, नया दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए या उच्चतर पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन या अनुदत्त प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए, अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं की किसी ऐसी मान्यता के लिए कोई अनुज्ञा, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त हैं, सभी प्रयोजनों के लिए उनके अवसान की तारीख तक वैसे ही प्रदत्त बनी रहेंगी, मानो वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन जारी या अनुदत्त की गई हैं ।

1948 का 16

संक्रमणकालीन उपबंध ।

59. (1) आयोग, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के, जिसके अंतर्गत उसके समनुषंगी और स्वामित्वाधीन न्यास भी हैं, हित में उत्तराधिकारी होगा और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की सभी आस्तियां और दायित्व, आयोग को अंतरित किए गए समझे जाएंगे ।

(2) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के निरसन के होते हुए भी, शैक्षिक स्तरमान, अपेक्षाएं और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन नए स्तरमान और अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट किए जाने तक प्रवृत्त और प्रवर्तन में बने रहेंगे :

1948 का 16

परंतु निरसन के अधीन अधिनियमिति और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन शैक्षिक स्तरमान और अपेक्षाओं के संबंध में की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार वह तब तक प्रदत्त बनी रहेगी जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है ।

(3) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम की क्रमशः धारा 21 और धारा 23 के अधीन गठित राज्य परिषद् और संयुक्त राज्य परिषद् का संचालन तब तक जारी रहेगा, जब तक राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 29 के उपबंधों के अनुसार एक नई राज्य दंत चिकत्सा परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती ।

अनुसूची

(धारा 35 देखिए)

भारत में के कानूनी निकाय या अन्य दंत चिकित्सा निकाय द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अहर्ताओं के प्रवर्गों की सूची

क्रम सं0	दंत चिकित्सा अर्हताओं के प्रवर्ग
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों द्वारा अनुदत्त सभी दंत चिकित्सा अर्हताएं ।
2.	मुख संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान केन्द्र, स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ ।
3.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न सुधारों के अनुरूप, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के माध्यम से तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद् का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से प्रतिस्थापन भी है, दंत चिकित्सा शिक्षा और वृत्ति तथा इसके विनियामक ढांचे में सुधारों पर विचार किया गया है, इसे वैश्विक मानकों के सम-मूल्य पर लाने की आवश्यकता है ।

2. दंत चिकित्सा शिक्षा और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की समीक्षा और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के पुनर्गठन के लिए डॉ. अशोक उत्रेजा, प्रोफेसर और मुख संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान के विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई । समिति ने एक एकल राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, एक एकीकृत निर्गम परीक्षा और एक एकल इलैक्ट्रोनिक लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर के रखरखाव की भी सिफारिश की, जो दंत चिकित्सा वृत्तिकों और दंत चिकित्सा सहायकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य दंत चिकित्सा रजिस्टरों के साथ समन्वित हो ।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017 पर अपनी 109वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि विभाग को भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के पुनर्गठन और पुनरूद्धार की संभावना का पता लगाना चाहिए ।

4. तदनुसार, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है,—

(क) दंत चिकित्सा शिक्षा, दंत चिकित्सा वृत्ति और दंत चिकित्सा संस्थाओं से संबंधित सभी पहलूओं के विकास और विनियमन के लिए एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (आयोग) का और आयोग को सलाह देने और सिफारिशें करने के लिए एक दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् का गठन करने ;

(ख) तीन स्वशासी बोर्डों का गठन करने, अर्थात् :—

(i) स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर दंत चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने और उसके स्तरमानों का अवधारण करने के लिए, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ;

(ii) दंत चिकित्सा संस्थाओं का निर्धारण और रेटिंग करने, नए दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए, स्थानों की संख्या बढ़ाने या घटाने के लिए अनुमति देने और अननुपालन करने वाली दंत चिकित्सा संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड ;

(iii) वृत्तिक आचरण को विनियमित करने, दंत चिकित्सकों और वृत्तिकों में दंत चिकित्सा शिष्टाचार का संवर्धन करने और सभी अनुज्ञप्त दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों का डिजिटल राष्ट्रीय रजिस्टर

रखने के लिए, शिष्टाचार और दंत चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ;

(ग) दंत चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर के नामांकन के लिए, और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए, एक समरूप राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) आयोजित करने ;

(घ) भारत में और भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों और दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा दी गई दंत चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता और अनुसूची में सूचीबद्ध भारत के कानूनी और अन्य निकायों द्वारा दी गई दंत चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता के लिए भी ;

(ङ) एक ऑनलाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर, जिसमें सभी अनुज्ञप्त दंत चिकित्सकों का नाम, पता, अनुज्ञप्त दंत चिकित्सक को प्राप्त मान्यताप्राप्त अर्हताएं अंतर्विष्ट हों, और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने ;

(च) भारत में दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा दंत चिकित्सा अर्हताओं को दी गई मान्यता को वापस लेना और भारत के बाहर दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता समाप्त करने ;

(छ) फीस, शास्तियां और प्रभार जमा करने के लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग निधि का गठन करने ;

(ज) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का निरसन करने और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के समापन के लिए, यह उपबंध करके कि ऐसे समापन पर,—

(i) अध्यक्ष और उक्त परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यक्ति, अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे तथा वे तीन मास से अनधिक के वेतन और भत्तों के प्रतिकर के हकदार होंगे ;

(ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, उनके मूल काडर को प्रत्यावर्तित हो जाएंगे ;

(iii) ऐसे अन्य कर्मचारियों की सेवाएं, जिन्हें भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा नियमित आधार पर नियोजित किया गया था, इस अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात्, एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में, एक वर्ष से अनधिक समय तक बने रहेंगे और उसके पश्चात्, उनकी सेवाओं की निरंतरता या अन्यथा अवधारण, आयोग द्वारा उनके कार्यों के अंकन या मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
29 मार्च, 2023

डॉ0 मनसुख मांडविया

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 2 विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न निबंधन और पदों को परिभाषित करता है ।

विधेयक का खंड 3 राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के गठन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 4 राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के गठन और इसके संघटक सदस्यों की नियुक्ति तथा अर्हता के लिए उपबंध करता है । आयोग, अध्यक्ष, आठ पदेन सदस्यों और चौबीस अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

विधेयक का खंड 5 प्रस्तावित अधिनियम के अधीन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव तथा शासी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति के गठन के लिए उपबंध करता है । समिति की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जाएगी तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का भारसाधक सचिव, संयोजक सदस्य होगा ।

विधेयक का खंड 6 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों के लिए उपबंध करता है । ये चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पदधारण करेंगे और वे किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

विधेयक का खंड 7 आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाए जाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 8 आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 9 आयोग की बैठकों, गणपूर्ति और बैठकों से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों का उपबंध करता है । आयोग तीन मास में कम से कम एक बार अवश्य बैठक करेगा ।

विधेयक का खंड 10 आयोग की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :—

(क) दंत चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण में उच्च गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाना और दिशानिर्देश विरचित करना ;

(ख) आयोग, स्वायत्त बोर्ड और राज्य या संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् के कार्यों में समन्वय ;

(ग) दंत चिकित्सक और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए नीति तैयार करना ;

(घ) ऐसे प्राइवेट दंत चिकित्सा संस्थाओं और मानित विश्वविद्यालयों में के, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होते हैं, पचास प्रतिशत स्थानों की बाबत फीस और अन्य प्रभारों के अवधारण के लिए मार्गदर्शक

सिद्धांत विरचित करना ;

(ङ) प्रत्यायोजन और उप समितियां गठित करने की शक्ति ।

विधेयक का खंड 11 दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् के गठन और उसकी संरचना के लिए उपबंध करता है । सलाहकार परिषद् तिरानवे सदस्यों का एक निकाय होगा, जिसमें आयोग का अध्यक्ष सलाहकार परिषद् के पदेन अध्यक्ष के रूप में होगा ।

विधेयक का खंड 12 दंत चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर न्यूनतम स्तरमान पर आयोग को सलाह देने संबंधी, दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् के कृत्यों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 13 दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकों और गणपूर्ति का उपबंध करता है । सलाहकार परिषद् एक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बैठक करेगी । सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष सहित पचास प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

विधेयक का खंड 14 सभी दंत चिकित्सा संस्थाओं में दंत शल्यचिकित्सा में बैचलर के स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश, और राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) आरंभ नहीं होने तक, दंत शल्यचिकित्सा मास्टर के स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश, राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होने का उपबंध करता है । आयोग, सभी दंत चिकित्सा संस्थाओं में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर सीटों पर प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसलिंग आयोजित करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ।

विधेयक का खंड 15 आयोग द्वारा दंत चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा)' नामक अंतिम वर्ष स्नातकपूर्व दंत चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने का उपबंध करता है, जो स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए भी आधार होगी ।

विधेयक का खंड 16 आयोग के संपूर्ण पर्यवेक्षणाधीन तीन स्वशासी बोर्डों के गठन का उपबंध करता है । ये स्वशासी बोर्ड, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड और शिष्टाचार और दंत चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड हैं ।

विधेयक का खंड 17 प्रधान, दो से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों और दो से अनधिक अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बने स्वशासी बोर्ड का उपबंध करता है । दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड तथा शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का दूसरा पूर्णकालिक सदस्य विविध पृष्ठभूमि से होगा ।

विधेयक का खंड 18 स्वशासी बोर्ड के प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति, खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, किए जाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 19 स्वशासी बोर्ड के प्रधान और सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्तों तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 20 अधिनियम के अधीन दिए गए कृत्यों के निर्वहन के लिए, शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के सिवाय, सभी स्वशासी बोर्डों की सहायता, विशेषज्ञों की सलाहकार समितियों द्वारा किए जाने का उपबंध करता है । शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की सहायता, आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की शिष्टाचार समितियां करेगी ।

विधेयक का खंड 21 स्वशासी बोर्डों के कर्मचारिवृंद के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 22 स्वशासी बोर्डों की बैठकों के लिए उपबंध करता है । प्रत्येक बोर्ड, एक मास में कम से कम एक बार अवश्य बैठक करेगा ।

विधेयक का खंड 23 स्वशासी बोर्डों की शक्तियों और शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 24 स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों के लिए उपबंध करता है, जिसमें स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर दंत चिकित्सा शिक्षा और परीक्षा के मानकों का निर्धारण, दंत चिकित्सक और दंत चिकित्सा सहायक के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, दंत चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर दंत चिकित्सा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना सम्मिलित हैं ।

विधेयक का खंड 25 दंत चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों के लिए उपबंध करता है, जिसमें विहित मानकों के अनुपालन के लिए दंत चिकित्सा संस्थाओं की निर्धारण और रेटिंग के लिए प्रक्रिया अवधारित करना, नए दंत चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए या कोई विदेशी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए, या स्थानों की संख्या बढ़ाने और इस प्रयोजन के लिए निरीक्षण के लिए अनुमति देना, चेतावनी जारी करना, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक स्तरमानों को बनाए रखने में असफल रहने के लिए दंत चिकित्सा संस्थाओं पर मौद्रिक शास्ति अधिरोपित करना सम्मिलित हैं ।

विधेयक का खंड 26 शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों के लिए उपबंध करता है, जिसमें सभी रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों के लिए ऑनलाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखना, उनके वृत्तिक आचरण को विनियमित करना और राज्य दंत चिकित्सा परिषदों के साथ निरंतर बातचीत के लिए तंत्र विकसित करना सम्मिलित हैं । बोर्ड, रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के व्यवसाय के मानकों और विस्तार को भी विनियमित करेगा ।

विधेयक का खंड 27 नए दंत चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना के लिए, किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को आरंभ करने या उसके स्थानों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति देने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 28 नए दंत चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना, किसी स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम को आरंभ करने या सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुमोदन या

अननुमोदन के लिए मापदंड का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 29 राज्य या संयुक्त दंत चिकित्सा परिषदों के गठन और संरचना के लिए उपबंध करता है । राज्य दंत चिकित्सा परिषद्, अध्यक्ष, एक पदेन सदस्य और दस सदस्यों सहित बारह सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

विधेयक का खंड 30 शिष्टाचार और दंत रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर के रखरखाव करने का उपबंध करने के लिए है, जिसमें दंत और दंत चिकित्सक सहायकों का नाम, पता और उसके द्वारा धारित मान्यताप्राप्त अर्हताएं अंतर्विष्ट होगी । रजिस्टर इलेक्ट्रानिक और डिजिटल प्ररूपसहित, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे प्ररूप में रखे जाएंगे ।

विधेयक का खंड 31 व्यक्तियों के व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने और राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर में नामावलीगत किए जाने के अधिकार का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 32 व्यवसाय के वर्जन का उपबंध करने के लिए है । कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामावलीगत नहीं है, दंत चिकित्सा व्यवसाय के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । कोई उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा । विदेशी नागरिक, जो दंत चिकित्सक के रूप में अपने देश में नामावलीगत है, भारत में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,काअस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

विधेयक का खंड 33 भारत में विश्वविद्यालयों या दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता का उपबंध करने के लिए है । संस्थाएं स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड को आवेदन करेगा, जो मान्यता के अनुदान के आवेदन की परीक्षा और विनिश्चय करेगा, प्रथम अपील आयोग को और दूसरी अपील केंद्रीय सरकार को की जाएगी ।

विधेयक का खंड 34 भारत के बाहर दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 35 दंत चिकित्सा अर्हताओं के रूप में मान्यताप्राप्त किए जाने वाली भारत के कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 36 भारत में दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त दंत चिकित्सा अर्हता की अनुदत्त मान्यता का वापस लिए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 37 भारत के बाहर दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को अमान्य किए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 38 केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 39 राष्ट्रीयदंत चिकित्सा आयोग निधि का उपबंध करने के लिए है, जो भारत के लोक लेखा का भागरूप होगी । आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस,

शास्तियां और सभी धनराशियां, इसके भागरूप होंगे । निधि को आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उपगत सभी व्ययों के मद्दे संदाय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 40 संपरीक्षा और लेखा का उपबंध करने के लिए है । आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी ।

विधेयक का खंड 41 केंद्रीय सरकार को आयोग द्वारा विवरणियां और रिपोर्टों के दिए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 42 केंद्रीय सरकार की नीति के प्रश्नों पर आयोग और स्वशासी बोर्डों को निदेश देने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 43 केंद्रीय सरकार की राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने केलिए निदेश देने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 44 आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 45 विश्वविद्यालयों और दंत चिकित्सा संस्थाओं की बाध्यताओं का उपबंध करने के लिए है । वे सभी समयों पर वेबसाइट बनाए रखेगी और ऐसी सभी जानकारी संप्रदर्शित करेगी, जो आयोग या स्वशासी बोर्ड द्वारा अपेक्षित की जाए ।

विधेयक का खंड 46 दंत चिकित्सा संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रम के पूरा किए जाने का उपबंध करने के लिए है । छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी दंत चिकित्सा संस्था में अध्ययन कर रहा था, वैसे ही अध्ययन जारी रखेगा और इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व यथाविद्यमान पाठ्य विवरण और अध्ययन के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा करेगा । ऐसे छात्र के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है ।

विधेयक का खंड 47 सुसंगत विनियामक निकायों के साथ आयोग की संयुक्त बैठक का उपबंध करने के लिए है । आयोग वर्ष में कम से कम एक बार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय भेषजी परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, चिकित्सा की भारतीय प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय आयोग या उपरोक्त व्यवसायों को विनियमित करने के लिए तत्स्थानी राष्ट्रीय विनियामक के साथ बैठक करेगा ।

विधेयक का खंड 48 राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन किए जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 49 आयोग और स्वशासी बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यऔर अधिकारियों का भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 50 सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 51 आयोग शिष्टाचार औरदंत चिकित्सा बोर्ड या राज्य दंत चिकित्सा परिषद् के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केवल लिखित में शिकायत पर न्यायालय द्वारा अपराधों के संज्ञान का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 52 केंद्रीय सरकार की आयोग को अतिष्ठित करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है। यदि यह उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश के अनुपालन में निरंतर व्यतिक्रम किया है । केंद्रीय सरकार छह मास से अनधिक की अवधि के लिए अधिक्रमण की अधिसूचना जारी कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 53 केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है । केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

विधेयक का खंड 54 आयोग की विनियम बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है, आयोग, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।

विधेयक का खंड 55 संसद् के समक्ष नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के रखे जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 56 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है । राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

विधेयक का खंड 57 कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है । केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

विधेयक का खंड 58 निरसन और व्यावृत्ति का उपबंध करने के लिए है । दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 निरसित हो जाएगा और भारतीयदंत चिकित्सा परिषद् ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, विघटित हो जाएगी । भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् का अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति ऐसे विघटन पर अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे और प्रतिकर के लिए हकदार होंगे । नियमित आधार पर नियोजित कर्मचारियों की सेवाएं अंतरिम व्यवस्थापन के रूप में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बनी रहेगी और उनकी सेवाओं की आगे निरंतरता निष्पादन अंकन और मूल्यांकन के आधार पर आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी ।

विधेयक का खंड 59 संक्रमणकालीन उपबंध का उपबंध करने के लिए है । भारतीय दंत चिकित्सकअधिनियम, 1948 के निरसन के पश्चात् भी तदधीन बनाए गए नियम और विनियम तब तक प्रवर्तन में बने रहेंगे जब तक नए नियम और विनियम राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग द्वारा विरचित नहीं किए जाते हैं ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 का उपखंड (1), राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के गठन का, उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तथा उसे सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करता है ।

2. विधेयक के खंड 4 का उपखंड (1), आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का उपबंध करता है ।

3. विधेयक के खंड 6 का उपखंड (4), अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न, खंड 4 के उपखंड (4) के खंड (क) और खंड (घ) के अधीन नियुक्त सदस्यों को वेतन और भत्तों के संदाय के लिए उपबंध करता है ।

4. विधेयक के खंड 8 का उपखंड (1), आयोग के सचिव की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है और उसका उपखंड (6) आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का उपबंध करता है । उक्त खंड का उपखंड (7), आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्तों के संदाय के लिए उपबंध करता है ।

5. विधेयक के खंड 16 का उपखंड (1), तीन स्वशासी बोर्डों के गठन का उपबंध करता है । खंड 18 स्वशासी बोर्डों के प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति का उपबंध करता है । खंड 19 का उपखंड (2) स्वशासी बोर्डों के प्रधान और सदस्यों के लिए वेतन और भत्तों का उपबंध करता है ।

6. विधेयक का खंड 38, आयोग को अनुदान के संदाय का, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए समुचित विनियोग के पश्चात्, जैसा केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, उपबंध करता है ।

7. विधेयक के खंड 39 का उपखंड (1), राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग निधि नामक एक निधि, जो भारत के लोक लेखा का भागरूप होगी, के गठन का उपबंध करता है तथा आयोग और स्वशासी बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी फीस, शास्तियां और प्रभार तथा आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो उसके द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त सभी धनराशियां निधि में जमा की जाएंगी तथा निधि का उपयोजन, वेतन और भत्तों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में उपगत व्यय के संदाय के लिए किया जाएगा ।

8. विधेयक के खंड 58 का उपखंड (3) उपबंध करता है कि भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की समाप्ति पर, अध्यक्ष के रूप में कार्यरत व्यक्ति और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् का प्रत्येक अन्य सदस्य, अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे तथा ऐसा अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अपनी पदावधि के समय-पूर्व पर्यवसान के लिए, तीन मास से अनधिक के वेतन और भत्तों के प्रतिकर का दावा करने के हकदार होंगे । उक्त का उपखंड (5) उपबंध करता है कि ऐसे अन्य कर्मचारियों की सेवाएं, जिन्हें भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के विघटन से पूर्व, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा नियमित आधार पर नियोजित किया गया था, इस अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात्, एक

अंतरिम व्यवस्था के रूप में, एक वर्ष से अनधिक समय तक बने रहेंगे और उसके पश्चात्, उनकी सेवाओं की निरंतरता या अन्यथा अवधारण, आयोग द्वारा उनके कार्यों के अंकन या मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा । उक्त उपखंड का परंतुक उपबंध करता है कि तत्कालीन भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के ऐसे कर्मचारी, ऐसे प्रतिकर के हकदार होंगे, जो तीन मास के वेतन और भत्ते से कम नहीं होगा ।

9. यह व्यय मुख्यत: विद्यमान भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के कोर्प्स और भारतीय दंत चिकित्सा आयोग द्वारा उत्पन्न निधियों से पूरा किया जाएगा । आयोग और उसके घटक निकायों को सरकार द्वारा बजटीय समर्थन, परिषद् को दिए गए वर्तमान बजटीय समर्थन के स्तर से अधिक नहीं होने का अनुमान है । इसके अतिरिक्त, व्यय, आयोग की बैठकों की संख्या पर निर्भर करता है, इस स्तर पर आवर्ती या अनावर्ती व्यय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 15 का उपखंड (3) ऐसी तारीख से जो अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) प्रचालनीय करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

खंड 16 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को, अधिसूचना द्वारा, आयोग के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्वशासी बोर्ड का गठन करने के सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 35 का उपखंड (2) केंद्रीय सरकार को आयोग की सिफारिशों पर तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, अनुसूची में भारत में किसी कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत दंत चिकित्सा अर्हताओं के किन्हीं प्रवर्गों को जोड़ने या उससे लोप करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 53, केंद्रीय सरकार को, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाने के लिए सशक्त करता है—(क) दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम के आधार पर आयोग के दस सदस्यों की नियुक्ति की रीति ; (ख) आयोग के नौ सदस्यों की नियुक्ति की रीति ; (ग) दंत चिकित्सा संकायों में से दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की रीति ; (घ) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ङ) आयोग के अद्यक्ष और सदस्य द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करने का प्ररूप और रीति ; (च) आयोग के सचिव द्वारा धारित की जाने वाली अर्हताएं और अनुभव ; (छ) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ज) आयोग की अन्य शक्तियां और कृत्य ; (झ) किसी सदस्य द्वारा धारित की जाने वाली दंत चिकित्सा अर्हता और अनुभव ; (ञ) राज्य दंत चिकित्सा परिषद् के चयनित सदस्य में से अंशकालिक सदस्यों को चुने जाने की रीति ; (ट) किसी स्वशासी बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें तथा अंशकालिक सदस्य को संदेय भत्ते ; (ठ) वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्ररूप ; (ड) वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, आयोग द्वारा रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे; (ढ) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप और समय; (ण) नियोजन का समय पूर्व अवसान के लिए प्रतिकर; (त) कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जा सकेंगे ।

विधेयक का खंड 54 आयोग को निम्नलिखित से संबंधित विषयों के संबंध में, अन्य बातों के साथ, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् और राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है—(क) आयोग के सचिव द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ; (ख) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार विशेषज्ञ सलाहकार और वृत्तिक नियुक्त किए जा सकेंगे या विदेशी देश से विशेषज्ञ और विषय विशेषज्ञ आमंत्रित किए

जा सकेंगे और ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या ; (ग) आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, (घ) ऐसी क्वालिटी और स्तरमान, जो दंत चिकित्सा शिक्षा में बनाए रखे जाएंगे ; (ङ) दंत चिकित्सा संस्थाओं, दंत चिकित्सा अनुसंधानों, दंत चिकित्सक और दंत चिकित्सा सहायकों को विनियमित करने की रीति ; (च) आयोग, स्वशासी बोर्डों और राज्य दंत चिकित्सा परिषदों और संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् के कार्यकरण की रीति ; (छ) दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; (ज) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसिलिंग करने की रीति ; (झ) राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) का संचालन करने के लिए अभिहित प्राधिकारी और उसके संचालन की रीति ; (ञ) वह रीति जिसमें विदेशी दंत चिकित्सा अर्हता वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) उत्तीर्ण करेगा और राज्य रजिस्ट्रर या राष्ट्रीय रजिस्टर में उसके नामांकन की रीति; (ट) वह रीति जिसमें राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (दंत चिकित्सा) के आधार पर स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा ; (ठ) स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसिलिंग करने की रीति ; (ड) प्रत्येक दंत चिकित्सा सहायक के कर्मिकों में से एक सदस्य का स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड के लिए सलाहकार समिति में नामनिर्दिष्ट करने की रीति; (ढ) वह रीति, जिसमें आयोग द्वारा विशेषज्ञ, वृत्तिक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी स्वशासी बोर्डों को उपलब्ध कराएं जाएंगे ; (ण) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम ; (त) दंत चिकित्सा संस्थाओं द्वारा दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षण की रीति ; (थ दंत चिकित्सा संस्थाओं में दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं और मानक ; (द) दंत चिकित्सा संस्थाओं में दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर की अवसंरचना, संकाय तथा शिक्षा की क्वालिटी के लिए स्तरमान और मानक ; (ध) दंत चिकित्सा संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग की प्रक्रिया; (न) ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए दंत चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण करने की रीति ; (प) ऐसे निर्धारण और रेटिंग के लिए समय अवधि दंत चिकित्सा संस्थाओं का निर्धारण और रेटिंग करने की रीति तथा स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को पैनलित करने की रीति ; (फ) दंत चिकित्सा संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को वेबसाईट या सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराने की रीति ; (ब) न्यूनतम आवश्यक स्तरमानों को बनाए रखने में दंत चिकित्सा संस्थाओं के असफल रहने के लिए उसके विरुद्ध किए जाने वाले उपाय ; (भ) वृत्तिक आचरण को विनियमित करने और दंत चिकित्सा शिष्टाचार का संवर्धन करने की रीति ; (म) नए दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए या कोई नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए स्थानों की संख्या में वृद्धि हेतु स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां, उसके साथ संलग्न की जाने वाली फीस और स्कीम प्रस्तुत करने की रीति ; (य) स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील करने की रीति ; (यक) स्कीम के अनुमोदन या

अननुमोदन के मापदंड से संबंधित अन्य कारक; (यख) रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सकों या वृत्तिकों के वृत्तिक या शिष्टाचार संबंधी अवचार के लिए किसी राज्य दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की रीति तथा शिष्टाचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा परिवाद और शिकायत प्राप्त करने की प्रक्रिया ; (यग) ऐसे कृत्य का किया जाना या उसका लोप, जो वृत्तिक या शिष्टाचार संबंधी अवचार की कोटि में आता है ; (यघ) दंत चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ; (यङ) दंत चिकित्सा सहायकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां; (यच) राष्ट्रीय रजिस्टरों का प्ररूप, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है और उसके अनुरक्षण की रीति; (यछ) वह रीति, जिसमें राष्ट्रीय रजिस्टरों में किसी नाम या अर्हता को जोड़ा या हटाया जा सकेगा और उसके हटाए जाने के आधार ; (यज) राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में डिग्री, डिप्लोमा या अर्हता लिखने की रीति; (यझ) ऐसी अवधि जिसके लिए और ऐसी रीति जिसमें ऐसे विदेशी नागरिक जो अपने देश में एक दंत चिकित्सक के रूप में नामांकन कराता है उसे भारत में अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञान किया जाएगा ; (यञ) भारत में किसी विश्वविद्यालय या दंत चिकित्सा संस्था द्वारा अनुदत्त दंत चिकित्सा अर्हताओं को सूचीबद्ध और उसका अनुरक्षण करने की रीति ; (यट) मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन की परीक्षा करने की रीति ; (यठ) बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में दंत चिकित्सा अर्हता को सम्मिलित करने की रीति ; (यड) मान्यता प्रदान करने के लिए आयोग को अपील प्रस्तुत करने की रीति ; (यढ) ऐसी दंत चिकित्सा अर्हताओं को सूचीबद्ध करने और उनके अनुरक्षण की रीति, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले मान्यता अनुदत्त की गई थी ; (यण) उच्च दंत चिकित्सा अर्हता के लिए छानबीन परीक्षण आयोजित करने के लिए अभिहित प्राधिकरण और छानबीन परीक्षण आयोजित करने की रीति ; (यत) दंत चिकित्सा की अर्हताओं को सूचीबद्ध करने और अनुरक्षित करने की रीति, जिनको इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले मान्यता दी गई है ।

विधेयक का खंड 56 राज्य सरकार को, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाने के लिए समर्थ करता है—(क) राज्य दंत चिकित्सा परिषद् और संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष तथा सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें; (ख) राज्य दंत चिकित्सा परिषद् और संयुक्त दंत चिकित्सा परिषद् में होने वाली रिक्तियों को भरने की रीति ; (ग) कोई अन्य विषय जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

वे विषय जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके संबंध में स्वयं विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।